न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 96/2013 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. समसुद्दीन पुत्र यासीन जाति मेव
2. आमीन पुत्र याकूब जाति मेव निवासी धीरीयावास तहसील तिजारा जिला अलवर अधिहस्ताक्षरकर्ता सदर, जामिया मौहम्मदिया हिदातल उलूम धीरीयावास तहसील तिजारा सचिव जामिया मौहम्मदिया हिदातल उलूम ग्राम धीरीयावास तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:–– प्रतिवादीगण/अपीलांटस

बनाम

1. असमीना पत्नि गनीखां
2. हाजरा पत्नि मखमूल खां मेव साकिन धीरीयावास तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:–– वादीगण/रेस्पो0

3. रमा पत्नि विपिन कुमार महाजन साकिन टपूकडा
4. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा
5. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, टपूकडा
6. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा टपूकडा तहसील तिजारा

:––– प्रतिवादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध प्राथमिक डिकी उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 6.12.2013

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री जनार्दन शर्मा
2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 5.7.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 169/2013 उनवान असमीना वगैरा बनाम रमा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 6.12.2013 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0 टी0 एक्ट प्राथमिक तौर पर डिकी किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 204 रकबा 72 एयर वाके ग्राम धीरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है । इस आराजी पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत एवं मदाखलत करते हैं । शामलात में काश्त करना मुश्कल हो रहा है । इसलिये तकासमा की डिकी पारित कर खाता अलग किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

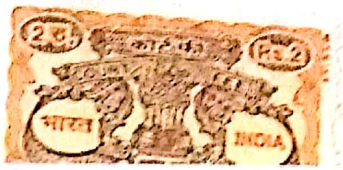

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा यह वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री कर कुरेजात कायम करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया । इस प्राथमिक डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलांटस ने यह अपील पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है, क्योंकि ना तो हम पर प्रोपर तामील हुई थी और ना ही हमको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया । कुल कार्यवाही साजबाज होकर की गई है । वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश करते समय हमको पक्षकार नहीं बनाया गया था । बाद में वादीगण द्वारा आदेश 01 नियम 10 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश करने पर हमको बिना सूचना दिये ही पक्षकार बना लिया गया । पत्रावली नियत दिनांक से पूर्व ही तलब कर ली गई और हमारी इकतरफा कर दी गई । विवादित भूमि में हमारा 1/3 हिस्सा निहित है । अगर हमको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तो हमको नापूर्तिजनक क्षति होगी । चूंकि हमको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, इसलिये प्रकरण पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु रिमांड किया जाना न्यायोचित होगा । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि अगर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमांड कर दिया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । चूंकि उभय पक्षकारान पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण को रिमांड कराने हेतु सहमत है । अतः उभयपक्षकारान की मौखिक सहमति के परिप्रेक्ष्य में हम न्यायहित में प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.12.2013 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई दिनांक को तहत न्यायालय में उपस्थित हों ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner